

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in)

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: [www.health.rajasthan.gov.in](http://www.health.rajasthan.gov.in)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/929

दिनांक : 10/07/2023

### कार्यालय आदेश


M/s Ind Swift Ltd (Unit-III), Village -Malkumajra, Tehsil-Nalagarh, Dist: Solan- 173205 (H.P.) की निविदा क्रमांक F.02(270)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-12/2019/1027 dated 18.09.2019 के तहत औषधि Calcium With Vitamin D Tablets USP /Calcium and Colecalciferol Tablets BP/Calcium and Vitamin D3 Tablets IP(Elemental Calcium 500 Mg, Vitamin D3-250 IU) (Non-Chewable)[622] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 3545 दिनांक 10.02.2020, 1215 दिनांक 21.09.2020 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के बैच (BCVT-112, BCVT-116, BCVT-198) को Assay, Dissolution में अमानक कोटि का घोषित किया गया।

उक्त बैचों को Testing हेतु Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur में भिजवाया गया। Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के बैचों (BCVT-112, BCVT-116, BCVT-198) को अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

फर्म द्वारा बैच संख्या (BCVT-112, BCVT-116, BCVT-198) की चैलेंज पश्चात् जॉच रिपोर्ट Central Drug Laboratory, Kolkatta से प्राप्त हुई, जिसमें भी उक्त बैच (BCVT-112, BCVT-116, BCVT-198) को अमानक कोटि के पाए जाने की पुष्टि हुई। प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 27.06.2023 को आयोजित की गई, में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन व निविदा की शर्त के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Grossly Substandard की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जित दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debaring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Ind Swift Ltd (Unit-III), Village -Malkumajra, Tehsil-Nalagarh, Dist: Solan- 173205\* (H.P.) की औषधि Calcium With Vitamin D Tablets USP /Calcium and Colecalciferol Tablets BP/Calcium and Vitamin D3 Tablets IP(Elemental Calcium 500 Mg, Vitamin D3-250 IU) (Non-Chewable)[622] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02(दो) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

  
अनुपमा जोरवाल  
आइ.ए.एस  
प्रबन्ध निदेशक

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना



॥ सर्वे मनु निरामयाः ॥  
(Government of Rajasthan undertaking)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/929

दिनांक : 10/07/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
4. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हिमाचल प्रदेश।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं सं.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Ind Swift Ltd (Unit-III), Village -Malkumajra, Tehsil-Nalagarh, Dist: Solan- 173205 (H.P.)
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)